IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, February 2024

भारत में युवा अपराध का समाजशास्त्रीय अध्ययन (सीधी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Dr. Madhulika Shrivastava
Professor, Department of Sociology
Government Thakur Ranmat Singh College, Rewa, (M.P.), India

सारंशः अपराध की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है जो हब तक कोई भी लेखक सफलता पूर्वक नही कर सका है इसका कारण यह है कि वास्तव में दण्डनीय अपराध मौलिक रूप में स्थान विशेष की दण्डनीति पर निर्भर करता है। जो समय–समय पर समाज के उस सशक्त समूह द्वारा निर्धारित की जाती है। जो सुरक्षा तथा सुख–शांति बनाए रखने के लिये राज्य की प्रशासनिक शक्ति द्वारा उस व्यवहार को दबाने की क्षमता रखता है। अपराध एक ऐसा कृत्य है या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। अठारह वर्ष सेकम आयु के युवाओं द्वारा की जाने वाली अपराधिक गतिविधियों को युवा अपराध कहा जाता है। ऐसे कई तरह के अपराध है जो युवाओं द्वारा किए जाते है।

मुख्य शब्दः समाज, अपराध युवा और प्रशासन

प्रस्तावनाः

मानव व्यवहार सामान्य ओर असामान्य प्रकार से स्वीकार किसे जा सकते हैं। अतः अपराध वह किया है जिसमें सामान्य व्यवहार के प्रतिमान में विचलन उत्पन्न होता है, इस प्रकार सामाजिक व्यवहारों के विरूद्ध किया गया कार्य अपराध की कोटि में माना जाता है।

मनुष्य समाज में उत्पन्न होने वाला एक प्राणी है एतदर्थसामाजिक परिवृत्त से घिरे होने के कारण समाज का तत्कालीन प्रभाव स्वाभाविक है इस प्रकार समाज में होने वाले स्वाभाविक है इस प्रकार समाज में होने वालें सभी मानव व्यवहार अपराध की श्रेणी में नहीं माने जा सकते। वस्तुतः कुछ ऐसे व्यवहार जो समाज की दृष्टि से प्रतिकूल समझ जाते है तथा उनके द्वारा समाज को नुकसान होता है उन्हें अपराध की श्रेणी में माना जाता है, इस प्रकार के अपराध करने पर समाज ने कुछ दण्ड भी निर्धारित कर दिए है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति भय के कारण अपराध की ओर प्रवृत्त न हो। प्रायः यह सार्वभौमिक है और किसी न किसी अवस्था में प्रत्येक समाज में सर्वत्रप्राप्य है।

जब बात अपराध की आती है तो इसे विभिन्न समुदायों विद्धानों नीति निर्धारकों द्वारा अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। परन्तु यह समस्या सम्पूर्ण मनुष्यता कीहै देश में अपराधों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि एक संगिन प्रश्न है, चोरी ठगी, डकैती, हत्या बलात्कार, अपहरण जैसे अपराध विकराल रूप लेते जा रहे है यह पाशविक बर्बरता कभी भी कही देखने को मिल जाता है। कभी धर्म, मजहब व सम्प्रदाय के नाम पर हत्याएं होती है तो कभी मस्जिद जैसे पवित्र स्थलों के नाम पर कुछ समय पहले जलंधन में एक घटना घटी जिसमें बुरूंडी से आए कस अश्वेत छात्र को कुछ पंजाबी छात्रों ने इतना पीटा की वह कोमा पहुंच गया। अपराध के बढ़ते पैराग्राफ ने आज भारत की चारां ओर से घेरना प्रारम्भ कर दिया है। अपराध जैसे गंभीर विषय विस्तृत चर्चा करना अनिवार्य बन गया है। अतः उन बिन्दुओं पर प्रकाश डालेगें।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, February 2024

अपराध की सामाजिक व्याख्या:

समाज के कुछ मूल होते है जो सामाजिक रूढ़ियों प्रथंओं और परम्पराओं पर आधारित होते है जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण ही होता है जिनकों परिपूर्ण करने हेतु कुछ विधान बनाये जाते है जब इन्ही प्रथाओं और परम्पराओं को भंग किया जाता है। तो उसे सामाजिक अपराध की कोटि में गिना जाता है।

अपराध की व्यावहारिक व्याख्या:

व्यावहारिक व्याख्या में सामूहिक अवरोध का भी पर्याप्त महत्व है। यह वह स्थिति है जो कुछ क्रियाओं की स्वीकृति और कुछ को अस्वीकृत प्रदान करती है जिसके आधार स्वरूप अपराधों का निर्धारण किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अपराध का वर्गीकरण भारतीय दण्ड संहित में अपराधों का वर्गीकरण सांख्यिकीय आधार पर ही किया गया है। यह वर्गीकरण अपेक्षाकृत व्यापक एवं उपयुक्त है जिसमें सभी प्रकार के अपराधों को उचित रूप से रखा जा सकता है।

सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधः–

- चोरी उद्दीपन (ब्लैकमेल)
- डकैती और लूटपाट करना
- अतिक्रमण करना
- धोखाधड़ी करना
- आपराधिक न्यास भंग
- आपराधिक आपयोजन
- चोरी का माल खरीदना
- कपट

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध

- मानव हत्या शारीरिक चोट
- अनुचित प्रतिरोध तथा बंधन
- अपराधिक बल प्रयोग
- आक्रमण
- बल पूर्वक अपरहरण
- बलात्कार
- अप्राकृतिक अपराध

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, February 2024

लेख सम्बंधी अपराधः–

- जालसाजी
- गलत व्यापार चिन्हों का प्रयोग
- गलत सम्पत्ति चिन्हों का प्रयोग
- जाली नोट छापना

मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले अपराध

- मानहानि
- आपराधिक धमकी

लोकशान्ति के विरूद्ध अपराध

- गैर कानूनी संघ की स्थापना करना
- सार्वजनिक स्थान पर अशान्ति उत्पन्न करना
- वर्ग सघंर्स उत्पन्न करना।
- जुआंघर लॉटरी और अनैतिक स्थलों का निर्माण

राजकीय सेवकों के अपराधः–

भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार यदि कोई लोक या राजकीय व्यक्ति अनुचित तरीकों और विधियों से किसी प्रकार की भेंट उपहार और रिश्वत प्राप्त करता है। अथवा गैर–कानूनी कार्य करता है अथवा किसी भी प्रकार गैर–कानूनी कार्य करता है अथवा किसी भी प्रकार अन्य व्यवसाय सेवा की अवधि में करता है तो अपराधी माना जायेगा।

शोध के उद्देश्यः–

1. युवा अपराध को कम करना।
2. युवाओं में अपराध के जोखिमों में जागरूक करना
3. युवा अपराध को जानकारी प्राप्त करना।
4. प्रशासन द्वारा युवा अपराध को कम करने के उठाये गये कदम की जानकारी प्राप्त करना।
5. प्रशासन द्वारा युवा अपराध दण्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
6. युवा अपराध से समाज में पड रहे प्रभाव की जानकारी प्राप्त करना।
7. युवा अपराध से हो रही हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

शोध प्रविधिः–

अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्य पर निर्देशन के अन्तर्गत सीधी शहर के ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगो का चयन निर्देशन के माध्यम से किया गया है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, February 2024

निदर्शन पद्धतिः–

अध्ययन को स्वरूप देने के लिये उद्देश्य के अन्तर्गत सीधी शहर के ग्रमीण इलाकों में रह रहे लोगों का चयन निर्देशन के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरणः

प्रश्नावलीः अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए सीधी शहर क्षेत्रो में निवास कर रहे लोगो से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जानने से प्रयास किया गया है।

अनुसूचीः कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहां अनुसूची के रूप में भी किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकडों का प्रस्तुतीकरणः

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगो की स्थिति और कार्य पद्धति को केन्द्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है तथ्यो और आंकडो को प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से एकचित्र का उनका विश्लेषण किया गया है प्रस्तुत शोध सीधी जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रह रहे युवाओं पर विशेष रूप से केन्द्रितहै। अध्ययन मं लोगों को शामिल किया गया है जिनमेंविषय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गयी है तथ्य संकलन हेतु पचास प्रश्न अनुसूची को भरवाया गया है। तथ्य विश्लेषण पचास प्रतिभागियों के मतों को शामिल किया गया है।

साक्षात्कार अनुसूची में कुल 3 प्रश्नो को शमिल किया गया है। साक्षात्कार अनुसूचीं में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों को अध्ययन हेतुकेन्द्र में रखा गया है। साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप में हॉ नहीं और पता नहीं हो तथ्यसंकलन हेतु आधार बनाया गया है, जो इस प्रकार है।

तालिका कमांक 1: क्या प्रशासन द्वारा युवा अपराध को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएजा रहे हैं।

क.	ग्रामीण क्षेत्र के लोग	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	50	25	50
2.	नहीं	50	20	40
3.	पता नहीं	50	05	10
	योग	**50**	**50**	**100%**

उक्त तालिका कमांक–1 से ज्ञात होता है कि सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रशासन द्वारा चुवा अपराध कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहें कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में से 25 (50प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि हां प्रशासनद्वारा युवा अपराध को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे है। 20 (40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि प्रशासन द्वारा युवा अपराधकम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 05 (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि ज्ञात नहीं है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, February 2024

तालिका कमांक 2: युवा अपराध के कारण समाज में बुरा प्रभाव पड रहा है इसके प्रति लोग जागरूक हैं।

क.	ग्रामीण क्षेत्र के लोग	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	50	33	66
2.	नहीं	50	10	20
3.	पता नहीं	50	07	14
योग		**50**	**50**	**100**

उक्त तालिका कमांक–2 से ज्ञात होताहै कि सीधी जिलें के ग्रामीण क्षेत्र के लोगो का युवा अपराध के कारणसमाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसके प्रति लोक जागरूक हैं में कुल न्यादर्शो की संख्या 50 में से 33 (66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा की युवा अपराध के कारण समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा 10 (20प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि जागरूक नहीं है। जबकि 07 (14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि पता नही है।

तालिका कमांक 3: युवा अपराध के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व वर्ग व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है।

क.	ग्रामीण क्षेत्र के लोग	न्यादर्शो की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	हां	50	27	54
2.	नहीं	50	15	30
3.	पता नहीं	50	08	18
योग		**50**	**50**	**100 प्रतिशत**

उक्त तालिका कमांक–3 से ज्ञात होता है कि सीधी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में युवा अपराध के अन्तर्गत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व वर्ग व्यवस्था आज भी प्रसांगिक है में कुल न्यायदर्शो की संख्या 50 में से27 (54 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि हां युवा अपराध के अन्तर्गत क्षेत्रों में जाति व वर्ग व्यवस्था आज भी प्रंसागिक है तथा 15 (30 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि युवा अपराध के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व वर्ग व्यवस्था आज भी प्रासंगिक नहीं है। जबकि 08 (18 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा पता नहीं है।

निष्कर्षः

सम्पूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था को त्वरित और मितव्ययी बनाना चाहिये तथा न्यायालय को मानकर ही दण्ड प्रदान करना चाहिये कि अपराधी परिस्थितिवश अथवा सामाजिक कारणों के फलस्वरूप ही अपराधी बनता है।

सिनेमा, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रदर्शित वृत्तचित्रों और अन्य समस्याओं इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अनकों देखकर सामान्य व्यक्ति अपराधों से अनुभव करे तथा यथा सम्भव उनसे पृथक ही रहें।

संदर्भ सूचीः

[1]. शर्मा, मंजू 2009 नारी के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, मार्क प्रकाशन, जयपुर पृ. 102

[2]. सिंह, रामगोपाल 2006 सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्स, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर पृ. 13

[3]. गुप्ता, राजेश 1994 डॉ. अंबेडकर और सामाजिक न्याय, दिल्ली पृ. 64

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 2, February 2024

[4]. अखिलेश एस. 2014 भारत में नगरीय समाज, गायत्री पबिलेशन पृ. 172

[5]. नाराणी, प्रकाशनारायण 2012 कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बुक इलक्लेव, जयपुर, पृ. 69

[6]. दैनिक भास्कर, दिनांक 27.08.2015